The Chhattisgarh Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services and Protection of Information) Act,20l8

Act 13 of 2018

Keyword(s):
Aadhaar Number, Authentication, Benefit, Biometric Information, Central Identities Data Repository, Consolidated Fund, Demographic Information, Enrolment, Service, Subsidy

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 272] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 27 जुलाई 2018 — श्रावण 5, शक 1940

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 27 जुलाई 2018

क्रमांक 7543/डी. 141/21-अ/प्रारू./छ. ग./18. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 18-07-2018 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष कुमार ठाकुर, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 13 सन् 2018)

छत्तीसगढ़ आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान तथा सूचना का संरक्षण) अधिनियम, 2018

विषय सूची

धारा	विशिष्टियां
1.	संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.
2.	परिभाषाएं.
3.	कतिपय सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं की प्राप्ति के लिए आवश्यक आधार संख्या का प्रमाण.
4.	राज्य शासन द्वारा योजनाओं को अधिसूचित करना.
5.	केन्द्रीय अधिनियम के अध्याय 3 और अध्याय 6 का लागू होना.
6.	अधिनियम का किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होना न कि उसके अल्पीकरण में.
7.	सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण.
8.	नियम बनाने की शक्ति.
9.	कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 13 सन् 2018)

छत्तीसगढ़ आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान तथा सूचना का संरक्षण) अधिनियम, 2018

विशिष्ट पहचान स्थापित करने के यथा प्रमाण आधार संख्या का उपयोग करने के लिये, छत्तीसगढ़ राज्य में निवास करने वाले व्यक्तियों को, सुशासन के रूप में ऐसी सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं, जिसके लिये व्यय राज्य के संचित निधि या राज्य शासन के किसी अभिकरण द्वारा स्थापित किसी अन्य निधि से उपगत किया जाना है, के दक्ष, पारदर्शी एवं लक्षित परिदान के लिये तथा उससे संबंधित और उसके आनुषंगिक विषयों के लिये उपबंध करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के उन्हत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान तथा सूचना का संरक्षण) अधिनियम, 2018 कहलायेगा. — संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

(3) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा, जिसे शासन, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करें; और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न प्रावधानों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और किसी ऐसे प्रावधान में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का, उस प्रावधान के प्रारंभ के प्रति निर्देश के रूप में अर्थ लगाया जाएगा.

2. (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,- — परिभाषाएं.

(क) **"आधार संख्या"** से अभिप्रेत है केन्द्रीय अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (3) के अधीन किसी व्यक्ति को जारी की गई पहचान संख्या;

(ख) **"राज्य शासन का अभिकरण"** से अभिप्रेत है किसी केन्द्रीय अथवा राज्य विधि द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में स्थापित या गठित कोई प्राधिकरण या निकाय सहित स्थानीय निकाय और कोई अन्य निकाय, जो राज्य शासन के स्वामित्व एवं नियंत्रण में हो और इसमें ऐसे निकाय सम्मिलित है, जिनकी संरचना और प्रशासन, मुख्य रूप से राज्य शासन के नियंत्रण में हो;

(ग) **"अधिप्रमाणन"** से अभिप्रेत है ऐसी प्रक्रिया, जिसके द्वारा किसी व्यक्ति की जनसांख्यिकीय सूचना या बायोमेट्रिक सूचना सहित आधार संख्या, केन्द्रीय पहचान आंकड़े निक्षेपागार को, उसके सत्यापन हेतु प्रस्तुत की जाती है और ऐसा निक्षेपागार, उसके पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर उसकी शुद्धता या कमी का सत्यापन करता है;

(घ) **"प्रसुविधा"** से अभिप्रेत है व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को नकद या वस्तु के रूप में दिया गया कोई लाभ, दान, पुरस्कार, अनुतोष या संदाय और इसमें ऐसी अन्य प्रसुविधाएं सम्मिलित है, जो कि राज्य शासन द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाएं;

(ङ) **"बायोमैट्रिक सूचना"** से अभिप्रेत है किसी व्यक्ति का फोटो, अंगुली छाप, आइरिस स्कैन या ऐसे अन्य जैविक प्रतीक, जैसा कि केन्द्रीय अधिनियम द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया हो;

(च) **"केन्द्रीय अधिनियम"** से अभिप्रेत है आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (केन्द्रीय अधिनियम क्रमांक 18 सन् 2016);

(छ) **"केन्द्रीय पहचान आंकड़े निक्षेपागार"** से अभिप्रेत है एक या अधिक अवस्थानों में ऐसा केन्द्रीयकृत आंकड़ा, जिसमें ऐसे व्यक्तियों की तत्संबंधी जनसांख्यिकीय सूचना और बायोमैट्रिक सूचना के साथ-साथ आधार संख्या धारकों को जारी सभी आधार संख्यांक तथा उससे संबंधित अन्य सूचना अंतर्विष्ट है;

(ज) **"राज्य की संचित निधि"** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि;

(झ) **"जनसांख्यिकीय सूचना"** में सम्मिलित है केन्द्रीय अधिनियम के उपबंधों के अनुसार किसी व्यक्ति के नाम, जन्म की तारीख, पता से संबंधित जानकारी और अन्य सुसंगत जानकारी, किन्तु इसमें मूलवंश, धर्म, जाति, जनजाति, जातियता, भाषा, स्वामित्व का अभिलेख, आय या चिकित्सा इतिहास सम्मिलित नहीं होंगे;

(ञ) **"नामांकन"** से अभिप्रेत है केन्द्रीय अधिनियम के अधीन उपबंधित अनुसार व्यक्तियों को आधार संख्या जारी करने के प्रयोजन के लिए नामांकन करने वाले अभिकरणों द्वारा व्यक्तियों से जनसांख्यिकीय और बायोमैट्रिक सूचना एकत्रित करने की प्रक्रिया;

(ट) **"शासन"** या **"राज्य शासन"** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन;

(ठ) **"विहित"** से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित;

(ड) **"सेवा"** से अभिप्रेत है किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को किसी भी रूप में उपलब्ध कोई व्यवस्था, सुविधा, उपयोगिता या कोई अन्य सहायता और इसमें ऐसी अन्य सेवाएं सम्मिलित है, जैसा कि राज्य शासन द्वारा अधिसूचित की जाये;

(ढ) **"सहायिकी"** से अभिप्रेत है किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को नकद या वस्तु के रूप में, किसी भी प्रकार की सहायता, समर्थन, अनुदान, आर्थिक सहायता या विनियोग, जिसमें ऐसी अन्य सहायिकियां सम्मिलित है, जैसा कि राज्य शासन द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाये.

(2) शब्द एवं अभिव्यक्तियां, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त है किन्तु ऊपर इसमें परिभाषित नहीं हैं, के वही अर्थ होंगे, जो केन्द्रीय अधिनियम में उनके लिये क्रमशः समनुदेशित हैं.

कतिपय सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं की प्राप्ति के लिए आवश्यक आधार संख्या का प्रमाण.

3. यथास्थिति, राज्य शासन या राज्य शासन का कोई अभिकरण किसी ऐसी सहायिकी, प्रसुविधा या सेवा प्राप्त करने के लिए, जिसका व्यय राज्य की संचित निधि या राज्य शासन के किसी अभिकरण द्वारा स्थापित किसी अन्य निधि से आहरण के माध्यम से उपगत किया जाता है या उससे प्राप्ति, उसका भाग है, शर्त के रूप में किसी व्यक्ति की पहचान स्थापित करने के प्रयोजन के लिए यह अपेक्षा कर सकेगा कि ऐसे व्यक्ति का अभिप्रमाणन कराया जाये या आधार संख्या धारण करने का प्रमाण दिया जाये या ऐसे व्यक्ति की दशा में, जिसको कोई आधार संख्या समनुदेशित नहीं की गई है, वहां ऐसा व्यक्ति, नामांकन के लिए आवेदन करे :

परंतु यह कि किसी व्यक्ति को ऐसे समय तक आधार संख्या समनुदेशित नहीं की गई है, तो व्यक्ति को सहायिकी, प्रसुविधा या सेवा के परिदान के लिए वैकल्पिक और व्यवहार्य पहचान का साधन प्रस्थापित किया जाना चाहिये.

राज्य शासन द्वारा योजनाओं को अधिसूचित करना.

4. राज्य शासन, समय-समय पर, ऐसी योजनाओं, सहायिकियों, लाभों या सेवाओं की सूची को अधिसूचित कर सकेगा, जिसके लिये धारा 3 के अनुसार ऐसा अधिप्रमाणन या प्रमाण अपेक्षित हो.

केन्द्रीय अधिनियम के अध्याय-3 और अध्याय-6 का लागू होना.

5. केन्द्रीय अधिनियम के अध्याय-3 (अभिप्रमाणन) और अध्याय-6 (सूचना का संरक्षण) के प्रावधान, यथोचित परिवर्तनों सहित, इस अधिनियम के अधीन प्रमाणीकरण हेतु लागू होंगे.

6. इस अधिनियम के प्रावधान, तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के प्रावधानों के अतिरिक्त होंगे, न कि उसके अल्पीकरण में. — अधिनियम का किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होना, न कि उसके अल्पीकरण में.

7. इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गये नियमों के अधीन सद्भावनापूर्वक की गई या किये जाने के आशयित किसी कार्य के लिए राज्य शासन अथवा राज्य शासन के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी के विरूद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी. — सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण.

8. (1) राज्य शासन, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकेगा. — नियम बनाने की शक्ति.

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंधित किये जा सकेंगे, अर्थात् :-

(क) विभिन्न सहायकियां, प्रसुविधाएं, सेवाएं और अन्य प्रयोजन, जिनके लिए आधार संख्या प्रयुक्त की जा सकती है, प्रदान करने या प्राप्त करने के उद्देश्य से आधार संख्या के उपयोग की रीति विनिर्दिष्ट करने के लिये;

(ख) कोई अन्य विषय, जिसे विनिर्दिष्ट किया जाना अपेक्षित हो या विनिर्दिष्ट की जाये या जिसके संबंध में प्रावधान, नियमों द्वारा किया जाना हो.

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये प्रत्येक नियम, इसके बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, विधान सभा के पटल पर, जब वह सत्र में हो, रखा जाएगा.

9. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो राज्य शासन, अवसर के अनुसार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगा, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो और जो कठिनाई को दूर करने के लिए उसको आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो : — कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति.

परंतु यह कि ऐसा कोई आदेश, इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात् नहीं किया जाएगा.

(2) इस धारा की उप-धारा (1) के अधीन निर्मित प्रत्येक आदेश, इसके बनाये जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, विधान सभा के पटल पर, रखा जाएगा.

नया रायपुर, दिनांक 27 जुलाई 2018

क्रमांक 7543/डी. 141/21-अ/प्रारू./छ. ग./18.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 27-7-2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष कुमार ठाकुर, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 13 of 2018)

CHHATTISGARH AADHAAR (TARGETED DELIVERY OF FINANCIAL AND OTHER SUBSIDIES, BENEFITS AND SERVICES AND PROTECTION OF INFORMATION) ACT, 2018

INDEX

Section	Particulars
1.	Short title, extent and commencement.
2.	Definitions.
3.	Proof of Aadhaar number necessary for receipt of certain subsidies, benefits and services.
4.	Notifying Schemes by State Government.
5.	Application of Chapters-III and VI of Central Act.
6.	Act to be in addition and not in derogation of any other law.
7.	Protection of action taken in good faith.
8.	Power to make rules.
9.	Power to remove difficulties.

CHHATTISGARH ACT

(No. 13 of 2018)

CHHATTISGARH AADHAAR (TARGETED DELIVERY OF FINANCIAL AND OTHER SUBSIDIES, BENEFITS AND SERVICES AND PROTECTION OF INFORMATION) ACT, 2018

An Act to provide for, as good governance, efficient, transparent, and targeted delivery of subsidies, benefits and services, the expenditure for which is incurred from the Consolidated Fund of State or any other fund set up by any Agency of the State Government, to individuals residing in the State of Chhattisgarh using Aadhaar number as proof of establishing identity of an individual and for matters connected therewith or incidental thereto.

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-ninth Year of the Republic of India, as follows :-

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Act may be called Chhattisgarh Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services and Protection of Information) Act, 2018.

(2) It extends to the whole of the State of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force on such date, as the Government may, by notification in the Official Gazette appoint; and different dates may be appointed for different provisions of this Act and any reference in any such provision to the commencement of this Act shall be construed as a reference to the commencement of that provision.

Definition.

2. (1) In this Act, unless the context requires otherwise,-

(a) "**Aadhaar number**" means an identification number issued to an individual under sub-section (3) of Section 3 of the Central Act;

(b) "**Agency of the State Government**" means any authority or body established or constituted by any Central or State law in the State of Chhattisgarh including the local bodies, and any other body owned and controlled by the State Government and includes the bodies whose composition and administration are predominantly controlled by the State Government;

(c) "**authentication**" means the process by which the Aadhaar number along with demographic information or biometric information of an individual is submitted to the Central identities Data Repository for its verification and such Repository verifies the correctness, or the lack thereof, on the basis of information available with it;

(d) "**benefit**" means any advantage, gift, reward, relief or payment, in cash or kind, provided to an individual or group of individuals and includes such other benefits as may be notified by the State Government,from time to time;

(e) "**biometric information**" means photograph, finger print, Iris scan, or such other biological attributes of an individual specified by the Central Act;

(f) "**Central Act**" means the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (Central Act No. 18 of 2016);

(g) "**Central Identities Data Repository**" means a centralized database in one or more locations containing all Aadhaar numbers issued to Aadhaar number holders along with the corresponding demographic information and biometric information of such individuals and other information related thereto;

(h) "**Consolidated Fund of State**" means a Consolidated Fund of the State of Chhattisgarh;

(i) "**demographic information**" includes information relating to the name, date of birth, address and other relevant information of an individual as per the provisions of Central Act, but shall not include race, religion, caste, tribe, ethnicity, language, records of entitlements, income or medical history;

(j) "**enrolment**" means the process to collect demographic and biometric information from individuals by the enrolling agencies for the purpose of issuing Aadhaar number to individual as provided under the Central Act;

(k) "**Government**" or "**State Government**" means the Government of Chhattisgarh;

(l) "**Prescribed**" means prescribed by the rules made under this Act;

(m) "**service**" means any provision, facility, utility or any other assistance provided in any form to an individual or a group of individuals and includes such other services as may be notified by the State Government;

(n) "**subsidy**" means any form of aid, support, grant, subvention or appropriation, in cash or in kind, to an individual or a group of individuals which includes such other subsidies as may be notified by the State Government, from time to time.

(2) Words and expressions used in this Act but not defined herein above shall have the same meanings as respectively assigned to them under the Central Act;

Proof of Aadhaar number necessary for receipt of certain subsidies, benefits and services.

3. The State Government or, as the case may be, any agency of the State Government, may, for the purpose of establishing identity of an individual as a condition for receipt of a subsidy, benefit or service for which the expenditure is incurred by way of withdrawal from, or the receipt therefrom forms part of the Consolidated Fund of the State, or any other fund set up by any Agency of the State Government, require that such individual undergo authentication, or furnish proof of possession of Aadhaar number or, in the case of an individual to whom no Aadhaar number has been assigned, such individual makes an application for enrollment:

Provided that, till such time an Aadhaar number is not assigned to an individual, the individual should be offered alternate and viable means of identification for delivery of the subsidy, benefit or service.

Notifying Schemes by State Government.

4. The State Government shall, from time to time, notify the list of schemes, subsidies, benefits or services for which such authentication or proof is required as per Section 3.

Application of Chapters-III and VI of Central Act.

5. The provisions of Chapter-III (Authentication) and Chapter-VI (Protection of Information) of the Central Act shall mutatis mutandis apply to authentication under this Act.

6. The provisions of this Act shall be in addition to, and not in derogation of, the provisions of any other law for the time being in force. **Act to be in addition and not in derogation of any other law.**

7. No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the State Government or any officer, or other employees of the State Government for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act or rules made thereunder. **Protection of action taken in good faith.**

8. (1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, make rules to carry out the provisions of this Act. **Power to make rules.**

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely :-

(a) specifying the manner of use of Aadhaar number for the purposes of providing or availing of various subsidies, benefits, services and other purposes for which Aadhaar number may be used;

(b) any other matter which is required to be, or may be, specified, or in respect of which provision is to be made by rules.

(3) Every rule made under this Act shall be laid, as soon as may be, after it is made, before State Legislature, while it is in session.

9. (1) If any difficulty arises in giving effect to provisions of this Act, the State Government may, as occasion may arises, by an order published in the Official Gazette, do anything not inconsistent with the provisions of this Act, which appears to it to be necessary or expedient for the purposes of removing the difficulty : **Power to remove difficulties.**

Provided that no such order shall be made after the expiry of the period of two years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under sub-section (1) of this Section shall be laid, as soon as may be, after it is made, before State Legislature.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, नया रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2018.